



-प्रेस नोट-

दिनांक: 29.01.2026

थाना बेहट पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के मुकदमें में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

घटना का विवरण: -

दिनांक 28.01.2026 को वादिया की लिखित तहरीर बावत अभियुक्त सागर पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम रतनपुर कल्याणपुरा थाना बेहट जिला सहारनपुर द्वारा वादिया की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म किये जाने के सम्बन्ध में थाना बेहट पर मु030स0 57/26 धारा 64(2)F/64(2)M/65(2) बीएनएस 5L व 5M/6 पाक्सो एकट पंजीकृत कराया गया था।

पुलिस कार्यवाही: -

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29.01.2026 को थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त सागर पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम रतनपुरा कल्याणपुरा थाना बेहट जिला सहारनपुर को ग्राम रतनपुरा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सागर पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम रतनपुरा कल्याणपुरा थाना बेहट जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

मु030सं0 347/11 धारा 302/304 भादंवि थाना बेहट सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

- म0उ0नि0 मनोरमा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर।
- उ0नि0 स्वदेश कुमार थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर।
- कां0 1354 अभिषेक थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर।
- म0है0का0 1162 ललिता शर्मा थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर।
- म0का0 1333 रुबी थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर।
- म0है0कां0 222 मीनाक्षी थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 29.01.2026

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 29.01.2026 को थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त 1. रवि पुत्र अतरसिंह निवासी ग्राम कातला कलाँ थाना चिलकाना जिला सहारनपुर (सम्बन्धित वाद सं0-1592/24 धारा 125(3) सीआरपीसी न्यायालय श्रीमान प्रधान न्यायधीश परिवार न्यायालय) व 2. गुड्डू पुत्र संगत निवासी ग्राम पाजबाँगर थाना चिलकाना जिला सहारनपुर (सम्बन्धित वाद सं0-4317/23 धारा 25 आम्स एकट चालानी थाना चिलकाना सहारनपुर न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सहारनपुर) को अभियुक्तों के मस्कन से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. रवि पुत्र अतरसिंह निवासी ग्राम कातला कलाँ थाना चिलकाना जिला सहारनपुर।
2. गुड्डू पुत्र संगत निवासी ग्राम पाजबाँगर थाना चिलकाना जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण-

1. उ0नि0 श्री नरेन्द्र सोलंकी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. म0उ0नि0 सुमन थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
3. है0का0 876 अनुज कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
4. का0 2549 जिम्मी सागर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
5. का0 978 विपिन नैन थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर



दिनांक: 29.01.2026

-प्रेस नोट-

थाना गंगोह पुलिस द्वारा शिक्षक के साथ मारपीट करने वाले 02 बाल अपचारी सहित कुल 03 गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 28.01.2026 को वादी रोहित पुत्र श्री सतपाल सिंह निवासी मौ0 कोटला कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तरहीर बाबत तीन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी के साथ मारपीट किए जाने के सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 60/26 धारा 126(2)/115(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए गये, जिनके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस द्वारा आज दिनांक 29.01.2026 को **शिक्षक रोहित** के साथ मारपीट करने वाले 02 बाल अपचारी व **01 अभियुक्त सागर पुत्र संदीप नि�0 ग्राम रन्धेडी थाना गंगोह जिला सहारनपुर** को हिरासत में लिया गया एवं अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस की कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अभियुक्त सागर पुत्र संदीप नि�0 ग्राम रन्धेडी थाना गंगोह जिला सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- उ0नि0 श्री आजाद सिह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर ।
- है0का0 321 राहुल कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर ।
- का0 1929 मौ0 जवाद थाना गंगोह जनपद सहारनपुर ।



सहारनपुर पुलिस की अवैध खनन के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा अवैध खनन परिवहन करने वाले वाहन 01 ट्रैक्टर मय ट्रॉली को किया सीज

अवगत कराना है कि पुलिस उपमानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध खनन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार के नेतृत्व में थाना चिलकाना पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अवैध खनन सामग्री के परिवहन की रोकथाम हेतु सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

दिनांक **29.01.2026** को चेकिंग के दौरान पठेड़ चैक पोस्ट पर 01 वाहन ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा गया पकड़े गए उक्त ट्रैक्टर के चालक द्वारा उपरोक्त ट्रैक्टर मे बिना किसी खनिज परिपत्र के ओवरलोड खनन सामग्री भरकर परिवहन किया जा रहा था। उक्त वाहन ट्रैक्टर को सीज कर थाना परिसर में खड़ा कराया गया।

वाहन का विवरण

(1) ट्रैक्टर महेन्द्रा 575 DI रजिस्ट्रेशन नं 0 UP11-DC-1364

सीज करने वाली पुलिस टीम—

1. थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार, थाना चिलकाना, जनपद सहारनपुर।
2. उ0निरी 0 श्री चन्द्रपाल सिंह, थाना चिलकाना, जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 799 मोहित शर्मा, थाना चिलकाना, जनपद सहारनपुर।
4. संग्रह अमीन श्री अश्वनी कुमार, तहसील सदर, जनपद सहारनपुर।



दिनांक -29.01.2026

-प्रेस नोट-

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा मोबाइल छिनैती (झपटमरी) के 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 मोबाइल फोन बरामद

घटना का विवरण:-

दिनांक 29.01.2026 को वादिया अशिता पुत्री राजेन्द्र निवासी मित्तर नसरी बेहट रोड थाना कोता० देहात सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादिया के पीछे से आकर वादिया के मोबाइल पर झपट्टा मारकर छीन ले जाने के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 57/26 धारा 304(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया ।

पुलिस कार्यवाही:-

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए गये, जिनके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29.01.2026 को थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रभावी कार्यवाही करते 03 अभियुक्तगण 1.बन्टी पुत्र अतर सिंह निवासी रामनगर थाना को०देहात जनपद सहारनपुर 2. गुरदेश पुत्र हरपाल निवासी आरा मशीन वाली गली रामनगर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर 3. टीनू उर्फ सुनील पुत्र हरिराम निवासी रामनगर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर को मुखबिर की सुचना पर विनोद विहार के पास खाली ग्राउड के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. बन्टी पुत्र अतर सिंह निवासी रामनगर थाना को०देहात जनपद सहारनपुर ।
2. गुरदेश पुत्र हरपाल निवासी आरा मशीन वाली गली रामनगर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर ।
3. टीनू उर्फ सुनील पुत्र हरिराम निवासी रामनगर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर ।

अभियुक्त बन्टी का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 184/21 धारा- 379/411/420/467/468/471 भादवि चालानी थाना कोतवाली नगर
2. मु0अ0सं0 185/21 धारा 414/420/467/468/471 भादवि चालानी थाना कोतवाली नगर
3. मु0अ0सं0 188/21 धारा 25/4 आयुध अधिनियम 1959 चालानी थाना कोतवाली नगर

अभियुक्त गुरदेश का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 137/18 धारा 379 411 भादवि० थाना सदर बाजार
2. मु0अ0सं0 150/18 धारा 379 411 भादवि०
3. मु0अ0सं0 151/18 धारा 420/411 भादवि० व 41/102 सीआरपीसी थाना सदर बाजार
4. मु0अ0सं0 50/18 धारा 379 411 भादवि० थाना कोतवाली नगर
5. मु0अ0सं0 131/18 धारा 379 411 भादवि० थाना कोतवाली नगर
6. मु0अ0सं0 153/18 धारा 25/4 A.ACT थाना सदर बाजार

बरामदगी का विवरण:-

► 01 मोबाइल फोन (वीवो कम्पनी रंग बैगनी)

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. उ0नि0 श्री जयवीर सिंह थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर ।
2. है0का0 565 विजय कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर ।
3. है0का0 869 सुमित तोमर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर ।
4. है0का0 867 प्रवीण त्यागी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर ।
5. का0 11 सुनील कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर ।



दिनांक -29.01.2026

-प्रेस नोट-



मिशन शक्ति टीम की संवेदनशीलता व तत्परता से गुमशुदा मासूम बच्चा सकुशल परिजनों को किया सुपुर्द

अवगत कराना है कि दिनांक 29.01.2026 को श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर के आदेशानुसार एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के निर्देशन में, महिलाओं एवं बालिकाओं के प्रति किसी भी प्रकार के अपराध की रोकथाम, उनकी संवेदनशीलता, सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन को सुनिश्चित करने हेतु संचालित मिशन शक्ति फेज-5.0 के अंतर्गत थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा सराहनीय एवं मानवीय कार्य किया गया। क्षेत्राधिकारी सदर के मार्गदर्शन एवं थानाध्यक्ष फतेहपुर श्री विनय शर्मा के नेतृत्व में एंटी रोमियो/मिशन शक्ति केंद्र पुलिस टीम को छुटमलपुर स्थित भारत पेट्रोल पंप के पास एक रोता हुआ मासूम बच्चा देखा गया, जो अपना नाम हुसैन तो बता पा रहा था, किंतु अपना पूरा पता अथवा पिता का नाम बताने में असमर्थ था।

महिला उप निरीक्षक मिथलेश राठौर व उनकी टीम ने द्वारा तत्काल मानवीय संवेदनशीलता दिखाते हुए स्थानीय लोगों से सहयोग लिया गया तथा त्वरित जांच कर बच्चे की पहचान सुनिश्चित की गई। जांच में ज्ञात हुआ कि बच्चा हुसैन है, जिसकी माता इमराना (पत्नी शहजाद) निवासी अलावलपुर रोड, छुटमलपुर, थाना फतेहपुर हैं। इसके पश्चात परिजनों से संपर्क कर महज एक घंटे के भीतर बच्चे को उसकी मां इमराना एवं चाचा के सुपुर्द सकुशल कर दिया गया।

अपने बच्चे को सुरक्षित पाकर मां इमराना द्वारा मिशन शक्ति पुलिस टीम का आभार व्यक्त किया गया तथा थाना फतेहपुर पुलिस की त्वरित कार्रवाई, संवेदनशीलता एवं मानवीय कार्यप्रणाली की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई।

जनपद पुलिस सहारनपुर आमजन से अपील करती है कि किसी भी गुमशुदगी अथवा आपात स्थिति में तत्काल पुलिस को सूचित करें—समय पर की गई सूचना से अनमोल जीवन सुरक्षित किया जा सकता है।

बरामद कराने वाली पुलिस टीम—

- थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा थाना फतेहपुर सहारनपुर।
- व0उ0नि0 भूपेन्द्र शर्मा थाना फतेहपुर सहारनपुर।
- म0उ0नि0 मिथलेश राठौर थाना फतेहपुर सहारनपुर।
- म0है0का0 1099 नीरज थाना फतेहपुर सहारनपुर।